रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-69/2019/1391/22-2-2019-17(99)/2013
लखनऊ: दिनांक: 10 जून, 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, वाराणसी** में निरूद्ध सिद्धदोष **बन्दी अधारे (बन्दी संख्या-44439) पुत्र श्री बद्री, जो-ग्राम-कोडरी, थाना-घनघटा, जनपद-बस्ती वर्तमान जनपद-सन्तकबीरनगर** का रहने वाला है**,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-191/1978** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-148, 302/149** के अधीन **दिनांक 25.07.1979** को **मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बस्ती** द्वारा **आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित** किया गया, की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में दयायाचिका समिति की संस्तुति के आधार पर दिनांक 08.07.2018 तक बन्दी की आायु 83 वर्ष होने**,** 14 वर्ष 01 माह 09 दिन की अपरिहार सजा काटने, अच्छे जेल आचरण एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी रिहाई की संस्तुति एवं के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं**]** तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, सन्तकबीरनगर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-69/2019/1391(1)/22-2-2019 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, सन्तकबीरनगर ।
3- पुलिस अधीक्षक, सन्तकबीरनगर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in